

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

8/11/24

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
दोरे/ मिटींग/ V.O. के अस्त होने
से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली
दिनांक 6-12-24 को पेश हो।

महोदय,
नारी द्वारा
राशि जमा कराने
कोश/ राशि दिने
जाने में कोई आपत्ति
नहीं है।
पं-रो/ 24/11/24

6/12/24


पत्रावली पेश। जवाब सरकार अधीन
पर अंकित किया गया। बटुस वकील
प्राधीगण सुनी गई। वास्ते आदेश
पत्रावली दिनांक :- 26/12/24 को पेश हो।

26/12/24

पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23-1-25
को पत्रावली पेश हो।

23/1/25

पत्रावली पेश। बटुस वकील प्राधीगण सुनी जाकर
पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तावित रास्ते बाबत
T.D.R. डिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। मुलाबिक जांच रिपोर्ट
प्राधीगण अपनी शवातेदारी भूमिओं ख० नम्बर
604, 605, 618, 619 में रिकॉर्डेड गे० मु० रास्ता
ख० न० 625 में से होकर शबुशवातेदारी भूमि
ख० न० 618 में से होकर निकल रहा है।
जो की मौके पर चालू रास्ता है, परन्तु
प्राधीगण ख० न० 581 राजकीय सिवायक
अधिकारी
दिण्डोली

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम की तारीख में जारी हुई
	<p> मैं से रास्ता चाहुता हूँ। प्राचीन के पास अपनी स्वामित्व दारी सुविधाओं में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। धारा 251(क) में केवल रास्ते उपलब्ध नहीं होने व रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर ही रास्ते की घोषणा के प्रावधान हैं। </p> <p> अतः प्राचीन पत्र प्राचीन अन्तर्गत धारा 251(क) R.T. Act में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत घोषणीय नहीं होने से स्वामी किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल गुरुवार की जाकर बाद तकमिल नम्बर से कम होकर दारिद्र्य दफतर हो। निर्णय से इजलास आदेशिका पर लिखा जाकर सुनाया गया। </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली </p>	